(5)

न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर

अपील संख्याः– 23/2019 (जीसीएमएस 2019/00012)

01. हरीश कुमार पुत्र श्री बृजमोहन, जाति महाजन, निवासी वार्ड नम्बर 15, पिलानी, तहसील चिड़ावा, हाल आबाद हीमेश हाउस, थर्ड फ्लोर, 7/बी, बरली, सी–फेस, मुम्बई।

——अपीलार्थी

बनाम

01. ओम प्रकाश पुत्र स्व. श्री दूलीचन्द,
02. श्रीमति गौरा देवी बेवा स्व. श्री महावीर,
03. राजकुमार पुत्र स्व. श्री महावीर,
04. गंगाधर पुत्र स्व. श्री दूलीचन्द, समस्त जाति जाट, निवासी वार्ड नम्बर 9, पिलानी, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू।
05. श्रीमति मणी पुत्री स्व. श्री दूलीचन्द धर्मपत्नी श्री भगवानाराम, जाति जाट, निवासी मान्दरी, तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनूं।
06. श्रीमति अणची देवी पुत्री स्व. श्री दूलीचन्द धर्मपत्नी श्री भगवानाराम, जाति जाट, निवासी मान्दरी, तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनूं।
07. श्याम सुन्दर पुत्र स्व. श्री नागरमल, जाति जाट, निवासी वार्ड नम्बर 9, पिलानी, तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनूं।
08. श्रीमति शांति धर्मपत्नी श्री सुभाष चन्द पुत्री स्व. नागरमल, जाति जाट, निवासी नालपुर, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।
09. श्रीमति लक्ष्मी धर्मपत्नी श्री जुगलाल पुत्री स्व. नागरमल, जाति जाट, निवासी नालपुर, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।
10. रामप्रताप पुत्र स्व. श्री रिछपाल,
11. श्रीमति संतोष पत्नी श्री परमानन्द,
12. मनीष पुत्र श्री परमानन्द,
13. माया पुत्री श्री परमानन्द,
14. सीमा पुत्री श्री परमानन्द,
15. आशा पुत्री श्री परमानन्द,
16. महेश पुत्र श्री रिछपाल, समस्त जाति जाट, निवासी वार्ड नम्बर 9, पिलानी, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू।
17. श्रीमति परमेश्वरी पत्नी श्री धर्मपाल पुत्री श्री रिछपाल, जाति जाट, निवासी स्वामी सेही, तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनूं।

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से श्री राजाराम चौधरी एडवोकेट,
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

निर्णय

दिनांक 04.08.2021

अपलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 09.01.2019 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम पिलानी, तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनूं स्थित आराजी साबिका खसरा नम्बर 291/2 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 291/3 रकबा 8 बीघा 10 बीस्वा, खसरा नम्बर 291/4 रकबा 1 बीस्वा कुल किता 3 रकबा 8 बीघा 15 बीस्वा के हाल खसरा नम्बर 425 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 426 रकबा 0.01 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 427 रकबा 2.25 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.31 हैक्टेयर भूमि अपीलार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की है, जो अपीलार्थी के दादा रामेश्वरदास पुत्र डालूराम जाति महाजन को तत्कालीन जागीरदार श्री मदनसिंह जी ने जरिये पट्टा दिनांक 09.09 1942 भादवा बुदी 12 संवत 1999 को मिली थी जब से पूर्व में अपीलार्थी के दादा उसके पश्चात् अपीलार्थी काबिज काश्त कर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है एवं उक्त आराजीयात पर पुख्ता कुंआ बना रखा है, जिस पर विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है और खसरा नम्बर 427 पर अपीलार्थी ने रिहायशी मकानात बना रखा है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने वर्ष 2005 में वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अपीलार्थी पेश किया गया जो वाद संख्या 57/2005 दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 1 और 2 ने अपीलार्थी जो कि अपने व्यवसाय से मुम्बई में निवास करता है उसका सम्मन पिलानी का पता अंकित कर रेस्पोडेंट संख्या 2 के पुत्र राजकुमार की गवाही अंकित कर फर्जी तामील जरिये वरसानगी दिखाते हुये एकतरफा निर्णय डिक्री दिनांक 13.01.2006 को उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं से प्राप्त कर ली जब अपीलार्थी को उपरोक्त निर्णय डिक्री जानकारी होने पर दिनांक 16.02.2006 को ही एकतरफा पारित निर्णय और डिक्री को मंसूख (निरस्त) किये जाने हेतु आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. प्रस्तुत किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा दिनांक 13.10.2006 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 स्वीकार किया जाकर निर्णय डिक्री दिनांक 13.01.2006 को निरस्त कर पुनः वाद को सुनवाई हेतु नियत कर दिया गया। जिसकी निगरानी रेस्पोडेंट संख्या 1 और 2 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष निगरानी/टीए/7643/2006

संभागीय आयुक्त
जयपुर

उनवानी ओमप्रकाश बनाम हरीश कुमार व अन्य प्रस्तुत की गई जिस पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 24.06.2011 को आदेश पारित कर पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं को प्रतिप्रेषित कर दिया है जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 20.07.2011 को पुनः सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो वाद आज भी विचाराधीन है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उपरोक्त वाद विचाराधीन होने की जानकारी रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को शुरू से रही है, उसके पश्चात् भी रेस्पोडेंट ने उपखण्ड अधिकारी व नायब तहसीलदार पिलानी से सांठगांठ कर निरस्तशुदा डिक्री दिनांक 13.01.2006 की अनुपालना में बिना इजराय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1746 दिनांक 22.07.2011 तस्दीक करा लिया जिससे अपीलार्थी के अधिकार गम्भीर रूप से प्रभावित होने के कारण अपीलार्थी द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 1746 के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय की सुस्थापित व्यवस्था से बाहर जाकर अपील को अपने क्षेत्राधिकार में नहीं होना मानते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.01.2019 को पारित कर दिया गया जो विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने विवाद के वास्तविक मुददे को समझे बिना कतई परवर्स निर्णय पारित किये हैं जो पूर्णतः अवैध एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं कानून के विपरित होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलार्थी को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन नामांतरकरण तस्दीक किया है, जो प्राकृतिक न्याय एवं न्याय प्रशासन के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नियमानुसार किसी भी निर्णय व डिक्री की इजराय हेतु निर्णय डिक्री की दिनांक से 3 वर्ष के अन्दर मियाद यदि आवेदन इजराय प्रस्तुत होता है और यदि अपील विचाराधीन नहीं हो तो बिना किसी पक्षकार को सुने इजराय कार्यवाही की जा सकती है यदि तीन वर्ष पश्चात् आवेदन इजराय प्रस्तुत होने की अवस्था में सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रस्तुत करने के पश्चात् इजराय की जा सकती है, प्रस्तुत प्रकरण में वर्ष 2006 के निर्णय डिक्री की अनुपालना दिनांक 22.07.2011 को की गई जो निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने यह भी कथन किया है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार या तहसीलदार द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील की

संभागीय आयुक्त
जयपुर

सुनवाई का क्षेत्राधिकारी जिला कलेक्टर या अतिरिक्त जिला कलेक्टर को प्रदत्त किया गया है परन्तु उसके पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय ने नायब तहसीलदार द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण की अपील को अपने क्षेत्राधिकार में नहीं होना मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.01.2019 एवं नामान्तरकरण संख्या 1746 पर नायब तहसीलदार सूरजगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.2011 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा जिला झुन्झुनू के आदेश एवं डिक्री दिनांक 13.01.2006 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1746 दिनांक 22.07.2011 स्वीकृत किया गया है तत्पश्चात् अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा के समक्ष उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रार्थना पत्र आदेश–9 नियम–13 प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा ने अपने आदेश दिनांक 13.10.2006 अपने उक्त आदेश दिनांक 13.01.2006 को अपास्त किया जा चुका है तथा प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 13.01.2006 की पालना में नामान्तरकरण भरा गया है वर्तमान मे वह निर्णय और डिक्री ही अस्तित्व में नही है तो उस निर्णय व डिक्री की पालना में भरे गये नामान्तरकरण को उचित ठहराना कानूनन विधि सम्मत नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.01.2019 एवं नामान्तरकरण संख्या 1746 वाके ग्राम पीलानी पर नायब तहसीलदार सूरजगढ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.7.2011 को निरस्त किया जाता है।

(दिनेश कुमार शादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

आयुक्त
जयपुर